

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application (Appeal)
No. 1775/2025

in

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 2391/2025

Sukhvinder Singh S/o Balveer Singh, Aged About 30 Years,
Residence Of Village Chappar, Police Station Ghanaur, Distt.
Patiala, At Present Village Choura Police Station Patiala, Punjab
(Accused Appellant In Central Jail Ajmer)

-----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through P.P.

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Ali Mohammed Khan with Ms. Drishti Mishra
For Respondent(s)	:	Mr. Shri Ram Dhakad, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

12/02/2026

अपीलार्थी/अभियुक्त सुखविन्दर सिंह की ओर से विचारण न्यायालय—विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम प्रकरण, नसीराबाद, अजमेर द्वारा एन0डी0पी0एस0 प्रकरण संख्या—93/2018 (32/2015), सरकार बनाम सुखविन्दर सिंह में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक 14.08.2025 के विरुद्ध यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम दस वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी-अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। उनका यह भी तर्क रहा है कि फर्ड जब्ती प्रदर्श पी-5 के अनुसार समस्त कार्यवाहियां दिनांक 14.07.2015 को 12:00 पी0एम0 पर की गई है, जिसके अनुसार 11:50 ए0एम0 पर पिकअप गाड़ी नंबर पी0बी0-11 बी0के0 3974 को रूकवाया गया, ड्राइवर ने भागने का प्रयास किया तो पुलिस द्वारा उसे पकड़ा गया, तत्पश्चात् समस्त कार्यवाही की गई हैं। उनका यह भी तर्क रहा है कि फर्ड जब्ती के गवाह नेतराम एवं हनुमान दोनों पुलिस के गवाह रहे हैं, जिन्हें स्वतंत्र गवाह बनने के लिए तहरीर क्रमशः प्रदर्श पी-3 एवं पी-4 जारी की गई हैं, प्रदर्श पी-3 तहरीर 11:35 ए0एम0 की रही है, जिसमें नेतराम की कोई भी सहमति नहीं है तथा गवाह नेतराम द्वारा गवाह बनने के लिए सहमति दी गई अथवा नहीं, इस संबंध में कोई भी साक्ष्य पेश नहीं हुई है। अन्य गवाह हनुमान को स्वतंत्र गवाह बनने के लिए तहरीर 11:45 ए0एम0 पर जारी की गई है, जबकि बरामदगी के संबंध में वाहन को रोका जाना 11:50 ए0एम0 पर बताया गया है। उनका यह भी तर्क है कि प्रदर्श पी-3 एवं प्रदर्श पी-4 में यह अंकित किया गया है कि उक्त वाहन पिकअप संख्या-पी0बी0-11 बी0के0 3974 को चैक करने पर चालक के कब्जे से अफीम, डोडा-पोस्त मिला है, यदि तहरीर पर विश्वास किया जावे तो अफीम/डोडा पोस्त उक्त तहरीर जारी करने से पूर्व 11:35 ए0एम0 पर पहले मिल चुका था, परन्तु फर्ड जब्ती के अनुसार वाहन पिकअप 11:50 ए0एम0 पर रूकवाया गया है। इस प्रकार फर्ड जब्ती के तथ्यों एवं गवाहान के कथनों में तात्त्विक विरोधाभास विद्यमान है। उनका यह भी तर्क रहा है कि दौराने विचारण अपीलार्थी-अभियुक्त जमानत पर आजाद रहा है, वर्तमान में वह न्यायिक अभिरक्षा में है तथा लगभग आठ माह से अधिक की सजा भुगत चुका है, अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना है, अतः प्रस्तुत सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने प्रकरण की गंभीरता की ओर ध्यान आकर्षित कराकर प्रस्तुत सजा स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने की प्रार्थना की।

हमने उभय पक्षों के तर्कों वितर्कों पर मनन किया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रदर्श पी-3 लगायत प्रदर्श पी-5 के अवलोकन के पश्चात् प्रकरण के तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों, अपीलार्थी की अभिरक्षा अवधि तथा प्रस्तुत अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी किए बिना यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/- रूपए (अक्षरे पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000-25000/-रूपए (अक्षरे पच्चीस-पच्चीस हजार रूपये) की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दि. **12.03.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, वह उपस्थित होता रहेगा, तो अपीलार्थी/अभियुक्त **सुखविन्दर सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (**sentence**) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J